संख्या:–3923/ II-2007-04(59)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड के अन्तर्गत सेवाआश्रम केशवपुरी मनेरी में भागीरथी नदी के दायें तट पर बाढ़ सुरक्षा योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4257/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 योजना दि0 18.9.07 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड के अन्तर्गत सेवाआश्रम केशवपुरी मनेरी में भागीरथी नदी के दायें तट पर बाढ़ सुरक्षा योजना" रू0 27.03 लाख की लागत के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 24.80 लाख (रूपये चौबीस लाख अस्सी हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 में अंकित विवरणानुसार इतनी ही धनराशि की व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

1. उक्त बाढ़ योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन बाढ़ योजना के आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
2. उक्त कार्य के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही बाढ़ योजना का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. आगणन में उल्लिखित दरों का दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित कराया जाय। जो दरें शिडूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बजार भाव से ली गयी है कि स्वीकृति भी नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त की जाय।
6. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
8. एकमुश्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.08 तक पूर्ण उपभोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

.....2

10. कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
11. कार्य कराने से पूर्व स्थल का मली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
12. निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 103-सिविल निर्माण जामें, 03-अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-541/XXVII(2)/2007 दिनांक 22.10.07 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या- 3923/II-2007-04(69)/03 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के सज्ञानार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
3. वित्त अनुभाग-2 ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी ।
5. नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. गार्ड फाईल।

संलग्न: यथोक्त

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

प्रपत्र–बी०एम०–15

संलग्नक–[illegible]

प्रेषक: अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
प्रशासनिक विभाग सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन
वित्तीय वर्ष 2007–08 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रुपये में)

बजट प्रविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सम्भावित धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 से)	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5		6	7	8
4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16–हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का वैकल्पिक मार्ग 800–अन्य व्यय, 02–अन्य रखरखाव व्यय, 01–गंगा नहर सेवा मार्ग 24–वृहद् निर्माण कार्य	45000	640	5173	39827 (क)	4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01–बाढ़ नियंत्रण, 103–सिविल निर्माण कार्य, 03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी मे सुधार तथा कटाव–00 24–वृहत् निर्माण कार्य	2480 (ख)	2481	42520	(क) आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण बचतें उपलब्ध हैं। (ख) बजट व्यवस्था आवश्यकता से कम होने के कारण ।
योग	45000	640	5173	39827		2480	2481	42520	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस०एस०टोलिया)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
सं०– 541 /(क)/XXVII(2)/2007
देहरादून: दिनांक 22 अक्टूबर 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत।
(टी०एन०सिंह) 22.10.07
अपर सचिव

महालेखाकार उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं0 3923 /I–2007–03(07)/2007 दिनांक 22/10/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

4. वित्त अनुभाग–2 ।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

(एस०एस०टोलिया)
अनु सचिव।